भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2349

उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

विश्वविद्यालयों में निःशक्तजनों हेतु कोटा

2349. श्री सैयद इम्तियाज जलीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) आदि सहित विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए न्यूनतम कितना कोटा है;

(ख) क्या भारत के 32 शीर्ष विश्वविद्यालय और संस्थान इस कोटे के तहत निःशक्त छात्रों को लेने में असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को निःशक्त छात्रों के कोटा को भरने के लिए कोई निर्देश जारी किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को ऐसे विद्यार्थियों को इन संस्थानों में प्रवेश देने के लिए मानदंडों में ढील देने के लिए 1995 अधिनियम में संशोधन करने का विचार है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): सरकार ने नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,2016) अधिनियमित किया है जो 19.04.2017 से प्रभावी है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 32 के अनुसार, सभी सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को पांच प्रतिशत सीट बैंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित करना अनिवार्य है। इन प्रवाधानों का अन्य शैक्षिक संस्थाओं जैसे सीयू, आईआईटी और आईआईआईटी, एनआईटी, आईआईएम द्वारा भी अनुपालन किया जाता है।
(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों का नामांकन किया जा रहा है। 01.04.2019 के अनुसार, 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिव्यांग के अंतर्गत 3064 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को दाखिला देने से इंकार करने संबंधी कोई शिकायत यूजीसी को प्राप्त नहीं हुई है।

जेईई (एडवांस्ड), 2019 में कुल 12461 सीटों में से 630 सीटों को पीडब्ल्यूडी के विद्यार्थियों के लिए भी निर्धारित किया गया है।

(घ) और (ड.) : यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को दिव्यांग विद्यार्थियों का कोटा भरने के लिए समय- समय पर निर्देश जारी किए हैं। साथ ही यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुपालन हेतु उक्त अधिनियम की एक प्रति को भी परिचालित किया है।

(च): निशक्तजन (समान अवसर संरक्षा अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

*****